



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 27.05.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना मितौली पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त व 01 नफर वारंटी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.05.2022 को थाना मितौली पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त नूर मोहम्मद पुत्र हुसैन अली व अभियुक्ता जैरुना पत्नी फारुक को गिरफ्तार कर माननीय न्याय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी वारंटी अभियुक्त व अभियुक्ता का विवरण-

1. नूर मोहम्मद पुत्र हुसैन अली नि० ओदारा थाना मितौली जनपद खीरी
2. जैरुना पत्नी फारुक नि० खंजननगर थाना मितौली जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० गोविन्द कुमार
2. उ०नि० सिद्धान्त पंवार
3. हे०का० संतराम
4. म०का० शाईस्ता

जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा संचालित एलईडी वेन व बाइक रैली को शहरी क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु रवाना किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात माह के अंतर्गत स्कूल के बच्चों, आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में एलईडी वेन के माध्यम से वीडियो प्रदर्शित कराया गया एवं पंपलेट एवं म्यूजिक के माध्यम से जानकारी दी गई। उपरोक्त के साथ कलेक्ट्रेट से सड़क सुरक्षा बाइक रैली को जिलाधिकारी महोदय खीरी, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार-प्रसार हेतु शहर क्षेत्र में रवाना किया गया। साथ ही (नेक आदमी) गुड सेमिनेटर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को (गोल्डन आवर) 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाए जाने पर पुरस्कार राशि जनपद स्तर पर ₹5,000 प्रदेश स्तर पर ₹50,000 के बारे में पुलिस कर्मियों (200) को जानकारी दी गई, वाहन चलाते समय निम्न सावधानी अवश्य बरतें वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से कदापि बात ना करें, गलत दिशा में वाहन ना चलाएं, मोटरसाइकिल पर तीन सवारी ना चले, शराब के नशे में वाहन न चलाएं, तेज रफ्तार में वाहन ना चलाएं आदि उपरोक्त नियमों का पालन करने पर दुर्घटनाएं कम होगी लोग सुरक्षित रहेंगे। जनपद में जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 26.05.22 को सघन अभियान चलाकर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 332 वाहन चालकों का चालान मोटर यान अधिनियम के तहत किया गया।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त दिलीप पुत्र राममूर्ति को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 26.05.2022 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त दिलीप पुत्र राममूर्ति को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना ईसानगर पर मु0अ0सं0 269/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

दिलीप पुत्र राममूर्ति निवासी संडौराकला थाना ईसानगर जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध चाकू बरामद

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते निम्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया:-

1. थाना खीरी पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 186/22 धारा 498A/304B भादवि0 व 3/4 डी0पी0एक्ट में वांछित अभियुक्ता उर्मिला पत्नी बिरला थाना जमुनिया थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
2. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 481/22 धारा 60(1) Ex Act व 272/420/467/468 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सुनील पुत्र रामऔतार निवासी ऊचीभुड थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
3. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, अ0सं0 322/18 धारा 354 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त शिवबालक पुत्र सारंगधर निवासी कोहनिया थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
4. थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, अ0सं0 802/10 धारा 323/324/325/504 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त विजयशंकर पुत्र हरनाम निवासी जसवंतनगर थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
5. थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, अ0सं0 8202/10 धारा 323/324/325/504 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त कामता पुत्र पैरू निवासी जसवंतनगर थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
6. थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, अ0सं0 2779/16 धारा 380/411 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त सियाराम पुत्र ठाकुर निवासी पंडितपुरवा थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
7. थाना फरधान पुलिस द्वारा, अ0सं0 267/16 धारा 128 सीआरपीसी में वारण्टी अभियुक्त महेन्द्र पुत्र रामलाल निवासी मुड़ा अर्जुन थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 300 लीटर अवैध शराब व 10 शराब भट्टी बरामद कर 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **300 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **10 शराब भट्टी** बरामद कर **22 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **20 अभियोग** पंजीकृत किए गए।